जाए, महिला आयोग को अधिक शक्तियां प्रदान की जाएं तथा निचले स्तर पर भी महिला आयोगों का गठन किया जाए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : धन्यवाद महोदय, प्रतिभा ताई के संकल्प का पूर्ण समर्थन करते हुए, मैं इसमें एक या दो शब्द जोड़ना चाहती हूं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए की 8 मार्च को अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1857 में अमरीका एक कपड़ा मिल की महिला मजदूरों ने अच्छे वेतन तथा कार्यावधि के लिए संघर्ष शुरू किया था। अत: इस दिन हमें हमारे देश तथा अन्य देशों में उन महिलाओं को याद करना चाहिए जो कारखानों में असंगठित क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में, विभिन्न तरह से कार्य कर रहीं है, और जिनका वहां की प्रणाली द्वारा शोषण किया जा रहा है।

महोदय, इस संबंध में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहती हूं कि जब तक हम निचले स्तर पर महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी को सुदृढ नहीं करते और उस हानिकारक प्रभाव को नहीं बदलते जो ढ़ांचागत समायोजन कार्यक्रम का महिलाओं के जीवन पर है, समान अधिकारों के साथ भूमि सुधारों के बिना महिलाओं के लिए भूमि के बिना, स्वयं में आरक्षण उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता जो हम पूरा करने का प्रयास कर रहें हैं। अत: हमें यह कहना चाहिए कि इसे निचले स्तर से राजनैतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर महिलाओं की बराबर की भागीदारी को बढ़ावा देकर महिलाओं को और अधिकार देकर पूरा किया जाना चाहिए।

मैं अंतिम बात यह कहना चाहती हूं कि एक ऐसे देश में जहां हम पाते हैं कि साम्प्रदायिक हिंसा में वृद्धि हो रही है, वहां मेरे विचार से महिलाओं को हिंसा से, चाहे वह घर में हो अथवा बाहर, पूरी तरह से बचाया नहीं जा सकता। लेकिन हम चाहते हैं कि कानून के क्रियान्वयन करने वाली मशीनरी को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि उन अपराधियों को कठोर दण्ड दिया जा सके जो महिलाओं पर अत्याचार करें और विशेषकर बच्चों, विशेषकर बच्चियों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में कानूनों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, बहुत संक्षिप्त रूप से कहिये।

[हिन्दी]

श्रीमती लवली आनंद (वैशाली) माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हमारी बड़ी बहन के समान प्रतिभा पाटिल ने सारी बातें बोल दी हैं, अन्य सारी माहला संसद भी बोलीं हैं। हमें भी चार शब्द बोलने का मौका मिला है, इसलिए हमें खुशी हो रही है।

हम चाहेंगे कि इस देश में महिलाओं को आरक्षण नहीं, बल्कि उनको अपना हक चाहिए। देश को सजाने-सवांरने में जितना हाथ पुरूषों का रहा है, उससे कहीं बढ़ चढ़कर इस देश में

महिलाओं ने अपनी कुर्बानी दी हैं, वीरांगनाओं ने अपनी कुर्बानी दी हैं, बल्कि जरूरत पड़ी है तो घर चलाने से लेकर देश को बचाने में तलवार से भी उन्होंने जवाब देने का काम किया है और यह क्षमता महिलाओं में ही है कि वह घर भी संभाल सके और जरूरत पड़े तो वह देश को भी सभाल सके। इसलिए उसे आरक्षण नहीं चाहिए, वह आरक्षण और भीख का कटोरा लेकर नहीं आई है, बल्कि उसे इस देश में हक चाहिए और 50 प्र.श. उसे हक मिलना चाहिए।,

मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जब लड़कियां पैदा होती है तो अपने घर में वह गुलाम रहती हैं, चाहे वह पिता के अडर हो या भाई के अंडर हो, वह गुलाम बनकर रहती हैं। फिर शादी के बाद अपने पति के घर में उसे पूर्ण अधिकार तब तक नहीं मिलता है, जब तक कि वह विडो नहीं हो जाती है। इसलिए हम चाहेंगे कि उसके पति के रहते हुए ही, विडो होने से पहले ही, उसे अपनी ससुराल में पूर्ण अधिकार मिलें।

यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूं। . . . **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) अध्यक्ष जी, हमने भी तो नोटिस दिया है, हमें भी दो-दो शब्द कहने का मौका मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है यदि आप सभी पेश किए गए संकल्प से सहमत है और इसका समर्थन करते है, तो यह ठीक रहेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : इनसे भी तो महिलाओं के बारे में कुछ कहलवाईये। इस पर अटल जी को भी बुलवाईये। पुरूषों को भी तो महिलाओं के बारे में कुछ बोलना चाहिए।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (श्री पी.वी. नरसिंहराव) : महोदय, सरकार की ओर से मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम संकल्प में निहित भावना के साथ पूरी तरह सहमत है। वर्षों से उपाय किए जाते रहे हैं। महिलाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हे तथा संपत्ति के मामले में प्रत्येक वर्ष उनके लिए नए-नए कदम उठाए जाते रहे हैं। अब, उन्हें पंचायतों तथा अन्य निकायों में

आरक्षण प्रदान करके हमने उनके अधिकारों को राजनीतिक रूप से स्वीकार कर लिया है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में उन्हें अन्य संस्थाओं में भी आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मैं यह नहीं कहता कि यह अभी इसी समय हो जाएगा, किन्तु ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरा विचार है। अतः, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस संकल्प से पूरी तरह सहमत हैं। महिला सदस्य तथा अन्य सदस्य इस विषय पर वर्षों से गहनतापूर्वक जो सोचते आ रहे हैं तथा जो सुझाव देते हैं, उन सुझावों पर सरकार तत्परता से विचार करती है।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आज के दिन देवदासी प्रथा पर विचार नहीं किया गया तो यह बड़े शर्म की बात होगी। उड़ीसा में सितम्बर के महीने में देवदासियों की भर्ती के लिए आह्वान किया गया और उड़ीसा के ... **(व्यवधान)***

देवदासी प्रथा का अगर इतिहास उठाकर देख लिया जाए तो वह आंसुओं से भरा हुआ इतिहास है। ... **(व्यवधान)***

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : और देवदासी प्रथा के साक्षात्कार के लिए महिलाओं को बुलाया जाना समाज के लिए कलंक की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे मांग करना चाहूंगी कि देवदासी प्रथा को आपको जड़ से समाप्त करना होगा, और इसके लिए महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए आपको ठोस कदम उठाना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, महिला आयोग को आप और मजबूत करिए। महिला आयोग का मतलब यह होना चाहिए कि वह अत्याचारी पुरुषों के लिए वह खौफ बनकर छा जाए और महिलाओं के लिए वह एक सहयोगी संस्था बनकर चले, तभी आपका महिला आयोग अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगा, वर्ना महिला आयोगा बना देने से और और बंद कमरे में मीटिंग कर लेने से आपका कोई भी काम सफल नहीं होने वाला है और यह जो 30 प्र.श. आरक्षण की मांग की गई है, उसके लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है, आज आप इसकी घोषणा करें, जिससे आनेवाले दिनों में 30 प्र.श. महिलायें आपको यहां बैठी दिखाई दें।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उन सभी महिला सदस्यों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपने भाषणों में इस संकल्प के प्रति समर्थन व्यक्त किया है तथा इसकी भावना को प्रतिपादित किया है, आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहूंगा कि वे सभी इस संकल्प की भावना एवं सिद्धांतों से सहमत हैं। केवल यही नहीं, बल्कि सभा के समक्ष जो नहीं प्रकट किया जाना चाहिए था, उसे नहीं प्रकट किया गया है। सभी दलों के सभी नेताओं ने सिद्धांतः मुझे स्पष्ट किया है कि वे संकल्प में निहित सिद्धांतों से सहमत हैं। इसके अतिरिक्त, माननीय प्रधानमंत्री ने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है। मेरा विश्वास है कि यह सभा सर्वसम्मति से, मजे थपथपाकर, इस संकल्प में उल्लिखित बातों को सिद्धांततः स्वीकार करने के लिए सहमत होगी।

संकल्प ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जगह-जगह बम विस्फोट हो रहे हैं... **(व्यवधान)***

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कम-से-कम एक दिन तो हमें सभा का कार्य सही ढंग से चलाने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : इसे रिकार्ड नहीं किया जाए। ... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) महोदय, हम इसका विरोध करते हैं। इसे रिकार्ड नहीं किया जाना चाहिए। ... **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसे विष भरे आरोपों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। ... **(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।